



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082024-256779
CG-DL-E-30082024-256779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]
No. 681]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2024

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी/261/2022/डीडी/156/2022/डीसी/1681/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. कार्तिक मोहन (सदस्यता संख्या 243159), संख्या 16/2, नेशनल हाई स्कूल रोड, विश्वेश्वरपुरम, कामत होटल के पास, बंगलूरु- 560004 को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी अभिनिर्धारित किया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. कार्तिक मोहन (सदस्यता संख्या 243159) के नाम को 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया और साथ ही 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 90 दिन के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 30 (तीस) दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः, अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. कार्तिक मोहन (सदस्यता संख्या 243159) का नाम 30 अगस्त, 2024 से 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./452/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2024

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/G/261/2022/DD/156/2022/DC/1681/2022.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Karthik Mohan (Membership No. 243159), NO 16/2, National High School Road, Visveshwarapuram, Near Kamat Hotel, BENGALURU- 560004**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Karthik Mohan (Membership No. 243159)** from the Register of Members for a period of 02(Two) months and also imposed a fine of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) to be paid within 90(ninety) days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for a further period of 30(Thirty) days. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Karthik Mohan (Membership No. 243159)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) months with effect from 30th August, 2024.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext.y./452/2024-25]